# सद्भावना दिवस 20 अगस्त का पूर्व मुख्य सचिव को दिया निमंत्रण

**प्रभात अभिनन्दन न्यूज**

जयपुर, 1 अगस्त (का.सं.)। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2025 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती समारोह में राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य को समारोह का निमंत्रण पत्र भेंट कर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया मंच के मुख्य सलाहकार एडवोकेट कुलदीप प्रसाद शर्मा ने शिष्टाचार भेंट वार्ता में मंच के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया साथ ही राजीव गांधी जी की जयंती पर विभिन्न जिलों के व्यक्तियों के आगमन की सूचना भी पूर्व मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य जी को दी गई अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा चलाई जा रही मुहिम भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले ,अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया जाए, भारत नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति का पुनरुत्थान हो उद्देश्य को पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया

हाल ही में आपकी नेपाल यात्रा हुई थी जहां पर आपकी पशुपतिनाथ मंदिर समिति प्रोटोकॉल द्वारा आपका स्वागत सम्मान किया गया था।

# केकड़ी जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम – दवा वितरण केंद्र बना मरीजों की परेशानी का कारण!

**प्रभात अभिनन्दन न्यूज**

केकडी, 1 अगस्त (दीपांकुर चौहान)। जिला चिकित्सालय के निशुल्क दवाई वितरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं की भरमार ने मरीजों की तकलीफें और बढ़ा दी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि गर्मी से राहत देने के लिए लगे पंखे सिर्फ मुख दर्शक बनकर टके हैं।

जब हमारी टीम मौके पर पहुँची तो पाया कि कई पंखे बंद पड़े हैं और कुछ की पंखुड़ियाँ मुड़ी हुई थीं। भीषण गर्मी में घंटों इंतजार कर रहे मरीज बेहाल दिखे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे दवा के लिए लंबी कतारों में पसीना बहाते नजर आए। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब संबंधित अधिकारी ( इंचा से इस बारे में बात की गई। उन्होंने बेपरवाही भरे लहजे में कहा, जब तक मुझे इसके बारे मे जानकारी नहीं मिलेगी तबतक मे कुछ नहीं करुगा प्रशासन की यह लापरवाही सीधे तौर पर आमजन की सेहत से खिलवाड़ है। सरकारी व्यवस्थाओं के नाम पर यह उपेक्षा न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनहीनता भी उजागर करती है।

# रक्षाबंधन मेलाः संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने किया उद्घाटन

बीकानेर, 01 अगस्त। संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने शुक्रवार को ग्रामीण हाट में रक्षाबंधन मेले और एनएलसी इंडिया द्वारा सीएसआर फंड से यहां बनाई गई आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन किया।

जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में जिला प्रशासन, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्षाबंधन मेला 07 अगस्त तक चलेगा। संभागीय आयुक्त ने मेले के उद्घाटन के बाद मेले में लगाई गई सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और स्टॉल लगाने वालों की हौसला अफजाई की।

मेले में विभिन्न उत्पादों की कुल 65 स्टॉल लगाई

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक श्री सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि मेले में विभिन्न उत्पादों की कुल 65 स्टॉल लगाई गई है। जिन पर बीकानेर संभाग के विभिन्न उद्योगों एवं हस्तशिल्प के उत्कृष्ट उत्पाद, राखियाँ, कॉरपेट, कालीन, पायदान, हैण्डीक्राफट, हैंडमेड ज्वैलरी, लेदर प्रोडक्टस, बेकरी उत्पाद, कशीदाकारी, नमकीन, वूलन उत्पाद, गारमेंटस, उस्ता कला, जटिल कढ़ाई वाले वस्त्र, उत्तम मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, धातु का कार्य, जीवंत पेंटिंग्स एवं कलाकृतियां इत्यादि का प्रदर्शन एवं विपणन किया गया है।

# नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपी गिरफ्तार, बैसबॉल डंडा बरामद

**प्रभात अभिनन्दन न्यूज**

अजमेर, 1 अगस्त (दीपांकुर चौहान)। थाना केकड़ी क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और उसके परिजनों के साथ मारपीट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बैसबॉल का डंडा भी बरामद किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी श्योराजमल तथा वृताधिकारी केकड़ी हर्षित शर्मा के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा द्वारा गठित टीम ने फरार चल रहे आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर विकांत पुत्र शिवराज सिंह,उम्र 22 वर्ष, जाति दरोगा, निवासी शिव कॉलोनी, जुनिया गेट, केकड़ी को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान घटना में प्रयुक्त बैसबॉल का डंडा भी बरामद हुआ।

घटना का विवरण– मामला 26 जुलाई 2025 का है, जब पीड़िता की मां ने थाने पर रिपोर्ट दी थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ की, और विरोध करने पर परिवारजनों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम– कुसुमलता थानाधिकारी, तेजमल, मुकेश , पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और प्रकरण में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

# सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय करेंगे मंथन व्याख्यान माला में संबोधित

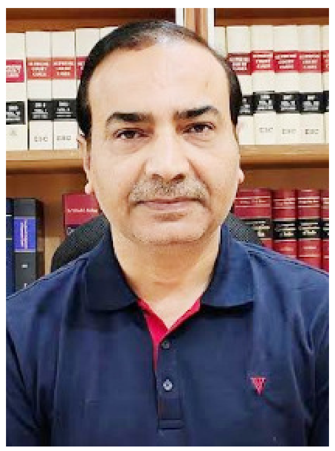

झुंझुनूं, 1 अगस्त (का.सं.)। शहर के प्रमुख शैक्षिक संस्थान एस एस मोदी विद्या विहार में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित मंथन व्याख्यान माला के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रविवार प्रातः 9ः00 बजे आयोजित किया जाएगा। परिषद् अध्यक्ष सीए जिम्मी मोदी ने बताया की इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। उपाध्याय नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर जनहित याचिकाएँ दायर करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारत का जनहित याचिका पुरुष कहा जाता है। मंथन व्याख्यान माला का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर उनके विचारों और अनुभवों को साझा करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिषद् समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जन जागृति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।

---

## FOR SALE by Kotak Mahindra Bank Ltd.

in the Loan A/c of

**Ashok Kumar Madan**

Shop No. 775 situated at Khanda Atish Market, Choti Chopar, Jaipur. Admeasuring 34.66 Sq.Meter.

Property Godown No. 31, Ground Floor situated at House No. 761, Choukari Sarhad, Sardul Singh ki Naal, Jaipur. Admeasuring 26.62 Sq.Meter.

Property for Sale Dated **08.08.2025 | 1:00 PM to 2:00 PM**

Interested Party may Contact

**Mr. Akshay Khandelwal +91-82900 47519**

**Mr. Nitesh Chhibber +91-91155 94124**

**Mr. Deependra Rathore +91-96029 00479**

**Mr. Rajit Gupta +91-95695 86879**

---

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
सीआईएनः L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः – केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031.
टेलीफोनः +91 44 4564 4000 । फैक्सः +91 44 4564 4022

### परिशिष्ट IV [ नियम 8( 1 ) ]
### कब्जे का नोटिस
### ( अचल संपत्ति के लिए )

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14.06.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और गारंटर **1. खुर्शीद आमीन, 2. मोहम्मद अमीन को नोटिस में उल्लेखित राशि रुपये 8,19,621.22/- ( आठ लाख उन्नीस हजार छह सौ इक्कीस रूपये और बाईस पैसे मात्र ) 25.04.2024 को उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाना होगा।**

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, आज **25 जुलाई 2025** को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ( पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित ) द्वारा रुपये 8,19,621.22/- ( आठ लाख उन्नीस हजार छह सौ इक्कीस रूपये और बाईस पैसे मात्र ) की राशि और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

| बंधक संपत्ति का विवरण |
|---|
| वह सारा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट संख्या 196ए, क्षेत्रफल 208.47 वर्ग गज, यानी 174.31 वर्ग मीटर, सगीरा सर्कल हाउसिंग स्कीम, झुंझुनू, राजस्थान, 333001 का उत्तरी क्षेत्र, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः प्लॉट संख्या 199, पश्चिमः प्लॉट संख्या 196, उत्तरः रास्ता 10 फीट, दक्षिणः प्लॉट संख्या 197 |

दिनांकः 25 जुलाई, 2025
स्थानः झुंझुनूं
ऋण खाता संख्याः 58509550

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ( पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित )

---

## सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

CIN: U67100GJ2015PTC083994

पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752

### कब्जे की सूचना

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

| ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता | मांग नोटिस की तिथि और राशि | कब्जे की तिथि | बंधक सम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|
| ( ऋण खाता संख्या ) 5001729, अजय महावर ( ऋणी ), सीताराम महावर ( सहऋणी/ बंधककर्ता ), केसर देवी ( सहऋणी ), घनश्याम महावर ( गारंटर ) | 18-फरवरी-25 Rs. 6,21,539.00 छः लाख इक्कीस हजार पांच सौ उनतालीस रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 28-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित 1-एच, बजरंग विहार नारदपुरा, जयपुर, राज. 302028 क्षेत्रफल 918 वर्गफीट, पूर्वः 30 फीट अन्य भूमि, पश्चिमः 30 फीट रोड, उत्तरः 60 फीट प्लॉट नं. 1-I, दक्षिणः 60 फीट प्लॉट नं. 1-जी |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5005427, मुकेश कुमार मीणा ( ऋणी/बंधककर्ता ), गुलाबदेवी ( सहऋणी ), देवेन्द्र कुमार शर्मा ( गारंटर ) | 20-फरवरी-25 Rs. 4,19,125.00 चार लाख उन्नीस हजार एक सौ पच्चीस रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 28-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 7, पश्चिमी भाग, ग्राम शिव विहार आंधी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज. 303001, क्षेत्रफल 1040 वर्गफीट, पूर्वः 70 फीट अमर सिंह मीणा की भूमि, पश्चिमः 73.5 फीट अन्य प्लॉट, उत्तरः 14फीट 6 इंच स्कूल की भूमि, दक्षिणः 14 फीट 16 इंच रास्ता |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5014123, राकेश ठाकुर ( ऋणी ), प्रेम देवी ( सहऋणी/बंधककर्ता ), | 01-मार्च-25 Rs. 3,30,011.00 तीन लाख तीस हजार ग्यारह रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 28-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 06 बजरंग विहार नारदपुरा रोड जेडीए क्वाटर्स के पास, जयपुर, राज. 302027 क्षेत्रफल 390 वर्गफीट, पूर्वः 45 फीट अन्य प्लॉट, पश्चिमः 45 फीट अन्य प्लॉट, उत्तरः 30 फीट रास्ता, दक्षिणः 30 फीट अन्य प्लॉट |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5019382, राजेश कुमार शर्मा ( ऋणी/बंधककर्ता ), संज्या शर्मा ( सहऋणी ), प्रभाती लाल शर्मा ( सहऋणी ), मुकेश कुमार शर्मा ( सहऋणी ), अनीता शर्मा ( गारंटर ) | 20-फरवरी-25 Rs. 3,54,121.00 तीन लाख चौवन हजार एक सौ इक्कीस रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 28-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 22 मांगी जमवा रामगढ जयपुर राज. 303101 क्षेत्रफल 746 वर्गफीट, पूर्वः 16 फीट 5 इंच सीसी रोड, पश्चिमः 16 फीट 5 इंच 2 गली के पश्चात रमेश का मकान, उत्तरः 42 इंच जगदीश/ मुकेश/ राजेश का मकान, दक्षिणः 42 इंच राजेश का मकान |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5045279, सुरज्ञान गुर्जर ( ऋणी ), छीतर मल गुर्जर ( सहऋणी ), लाली देवी गुर्जर ( सहऋणी ) | 17-मार्च-25 Rs. 4,51,203.00 चार लाख इक्यावन हजार दो सौ तीन रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 28-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित बुक नं. 21, ग्राम शिवपुरा घान, समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर 303001, क्षेत्रफल 1116 वर्गफीट, पूर्वः कल्याण का मकान, पश्चिमः खुली भूमि, उत्तरः 49 फीट स्वयं की भूमि रोड, दक्षिणः खुली भूमि |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5049464, अर्जुन लाल गुर्जर ( ऋणी ), दापा ( सहऋणी ), पोखर गुर्जर ( सहऋणी ) | 17-मार्च-25 Rs. 2,74,077.00 दो लाख चौहत्तर हजार सतहत्तर रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 28-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 63 का प्लॉट, ग्राम चैनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर,राज. 303109 क्षेत्रफल 1386 वर्गफीट, पूर्वः स्वयंकी भूमि के पश्चात रास्ता, पश्चिमः रामकरण का कच्चा घर, उत्तरः भैरू राम की भूमि, दक्षिणः श्रवण का मकान |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5037131, विक्रम सिंह गुर्जर ( ऋणी ), सरदारा ( सहऋणी ), लाडा देवी ( सहऋणी ) | 18-फरवरी-25 Rs. 2,07,176.00 दो लाख सात हजार एक सौ छिहत्तर रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 30-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 15 का प्लॉट, ग्राम बहलोर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज. 303120 क्षेत्रफल 1186 वर्गफीट, पूर्वः स्वयं की भूमि के पश्चात रास्ता, पश्चिमः स्वयं की भूमि, उत्तरः खुली भूमि, दक्षिणः गली के पश्चात कालो का मकान |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5043318, प्रकाश चन्द गुर्जर ( ऋणी ), सुगला ( सहऋणी ), हंसा कुमारगुर्जर ( सहऋणी ), हरफूल ( गारंटर ) | 07-अप्रैल-25 Rs. 8,13,269.00 आठ लाख तेरह हजार दो सौ उनहत्तर रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 30-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 347 में प्लॉट, ग्राम बहलोर, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राज. 303120 क्षेत्रफल 1470 वर्गफीट, पूर्वः जगदीश गुर्जर एवं किशनराम गुर्जर की भूमि, पश्चिमः स्वयं का बाड़ा, उत्तरः चांदराम गुर्जर एवं रादूनाथ की भूमि, दक्षिणः स्वयं की भूमि के पश्चात रास्ता |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5023982, विष्णु कुमार ( ऋणी/बंधककर्ता ), जितेन्द्र कुमार ( सहऋणी ), रविना ( सहऋणी ), रामेश्वर ( गारंटर ) | 01-मार्च-25 Rs. 4,25,868.00 चार लाख पच्चीस हजार आठ सौ अड़सठ रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 30-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मिसल नं. 15, वार्ड नं. 09, ग्राम महाजन, तहसील लूणकरणसर बीकानेर, राज. 334604, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट, पूर्वः नहीं, पश्चिमः ज्यानु खान, उत्तरः ( घनश्याम ) की संपत्ति का शेष भाग, दक्षिणः सत्यनारायण पारीक |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5044379, मुश्ताक खान ( ऋणी ), जेनाब बानो ( सहऋणी/बंधककर्ता ), सरिफा बानो ( सहऋणी ) | 02-मार्च-25 Rs. 6,12,705.00 छः लाख बारह हजार सात सौ पांच रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 30-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 05, ग्राम महाजन, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, राज. 334604, क्षेत्रफल 960 वर्गफीट, पूर्वः रोड, पश्चिमः अहमद हुसैन,उत्तरः सादक अली, दक्षिणः आरिफ |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5045411, वसीम राजा ( ऋणी/बंधककर्ता ), माफिया बानो ( सहऋणी ) | 02-मार्च-25 Rs. 3,72,193.00 तीन लाख बहत्तर हजार एक सौ तिरानवे रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 30-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित बुक नं. 13, पट्टा नं. 08, वार्ड नं. 05, ग्राम महाजन, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, राज. 334604, क्षेत्रफल 830 वर्गफीट, पूर्वः हाजी वासिन, पश्चिमः रोड, उत्तरः एनरोचमेंट के पश्चात रोड, दक्षिणः हाजी अलताफ |
| ( ऋण खाता संख्या ) 5049797, सेवा राम धत्तरवाल ( ऋणी ), साहब राम ( सहऋणी/ बंधककर्ता ), मोहिनी देवी ( सहऋणी ) | 02-मार्च-25 Rs. 7,10,735.00 सात लाख दस हजार सात सौ पैंतीस रूपये मात्र 31-12-2024 तक | 30-जुलाई-25 | रिहायशी/ व्यावसायिक संपत्ति भूमि/ बिल्डिंग/ स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 06/14, वार्ड नं. 04, ग्राम सुलेरा, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, राज. 334603, क्षेत्रफल 1260 वर्गफीट, पूर्वः सत्यनारायण का मकान, पश्चिमः रोड, उत्तरः रोड, दक्षिणः जयपाल का मकान |

दिनांकः 01.08.2025 स्थानः जयपुर / बीकानेर, राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

---

## pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
कोटा शाखाः– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट संख्या–286, द्वितीय तल, शॉपिंग सेंटर, कोटा–324006, राजस्थान

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को मांग सूचना/एं जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्जदार/रों से, प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित बकाया राशि, सूचना/ओं की तिथि/उक्त सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

चूंकि कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है/रहे हैं, अतः कर्जदार/रों तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/रों को तथा जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार उक्त बकाया राशि एवं उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| क्र. सं. | ऋण खाता सं. | कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर का नाम | मांग सूचना की तिथि | बकाया राशि | कब्जा लेने की तिथि | बंधक सम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOU/KOTA/ 0920/81349 2, बी.ओ.: कोटा | अंकुर जैन और उर्मिला जैन | 14.05.2025 | 14–05–2025 तक रु.16,39,520.05/– (रुपये सोलह लाख उनतालीस हजार पांच सौ बीस और पांच पैसे मात्र) | 28.07.2025 (भौतिक कब्जा) | प्लॉट नंबर 78, का संपूर्ण अंश और खंड, वंदना विहार, नया नोहरा, कोटा, राजस्थान–325420 |

स्थान : कोटा, दिनांकित : 28-07-2025 प्राधिकृत अधिकारी, (वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

---

## आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

ART HOUSING FINANCE Own your dreams

पंजीकृत कार्यालयः 107, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
शाखा कार्यालयः 49, उद्योग विहार, चरण-IV, गुरुग्राम हरियाणा - 122015

### वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 13( 2 ) के अंतर्गत सूचना

अधोहस्ताक्षरी, एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एम)(iv) के तहत एक वित्तीय संस्थान है जिसका पंजीकृत कार्यालय 107, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में है, जिसे आगे 'सुरक्षित लेनदार' कहा जाएगा) नीचे दिए गए ऋण खाता संख्या में वर्तमान नोटिस की सेवा करते हैं, जिन्हें 06.10.2024 तक एनपीए घोषित किया गया था।

| क्र. सं. | ऋण खाता संख्या | उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम | उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का पता | सुरक्षित संपत्ति का पता | मांग सूचना की तिथि 13( 2 ) | बकाया देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LNJP202723-240009117 | 1. इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से स्वर्गीय श्री मनोज कुमार पटानी और<br>2. अंजू कुमारी और<br>3. इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से स्वर्गीय श्रीमती मुन्नी देवी | प्लॉट नंबर एफ-139 जयपुर राजस्थान, वैशाली नगर गुप्ता स्टोर के पास जयपुर राजस्थान - 302021 और ई-161, वैशाली नगर जयपुर राजस्थान - 302021 और प्लॉट नंबर - ई-647 बिल्डिंग नंबर वैशाली नगर फ्लोर नंबर जयपुर राजस्थान - 302021 और 68 राधा किशन कॉलोनी इमली फाटक जयपुर राजस्थान - 302002 और प्लॉट नंबर 302 फ्लैट नं. 201 पहली मंजिल शकुंतले अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 302 श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर राजस्थान - 302018 | संपत्ति प्लॉट संख्या E-647, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान है, जिसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 30 फीट और उत्तर से दक्षिण तक 13 फीट 3 इंच है। इसका कुल क्षेत्रफल 36.93 वर्ग मीटर है। | 29.07.2025 | 30,48 274/- ( तीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौहत्तर रुपये मात्र ) 29.07.2025 तक |

नोटिस प्राप्तकर्ता से अनुरोध है कि वे इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, एएचएफएल को यहाँ उल्लेखित सुरक्षित परिसंपत्तियों में दी गई सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हित के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह नोटिस एएचएफएल को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

**ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।**

हस्ता./-
दिनांकः 02.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः जयपुर ( राजस्थान ) आर्ट हाउसिंग फाइनेंस ( इंडिया ) लिमिटेड

---

## pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

### परिशिष्ट –4–क
### अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com
जयपुर शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसबी – 59, यूडीबी टावर्स, प्रथम तल, जयपुर नगर निगम के सामने, टोंक रोड, जयपुर–302015

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

| ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए) | मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी) | कब्जा का प्रकार (सी) | बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी) | आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई) | ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ) | बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी) | बोली वृद्धि राशि (एच) | निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई) | नीलामी की तिथि एवं समय (जे) | ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL/JPR/1117/458231, बी.ओ.: जयपुर, माला माथुर, संदीप माथुर | 15.01.2025 तक रु. 12,01,949.67 | भौतिक कब्जा | पर्थम तल, 30, द राइज प्लॉट नंबर 8 बी, सेक्टर–8, प्रताप नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर– 302033 | रु. 1464000 | रु. 146400 | 04.09.2025 | रु. 10,000 | 25.08.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे | 05.09.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे | Uknown Builder Dues |

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। 1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सं) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी मी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अश्विनी कुमार शर्मा, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 02.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

---

## Bandhan Bank

रीजनल ऑफिसः नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोनः +91-79-26421671-75

### ऋणीओं के लिए मांग सूचना

नीचे बताया गया खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित किया गया है और बंधन बैंक द्वारा सिक्युरिटाइझेशन एन्ड रिकन्स्ट्रकशन ओफ फायनान्सियल एसेट्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट ओफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट (धी एक्ट), 2002 की धारा 13 (2) तहत नीचे बताए गए कर्जदारों को डिमान्ड नोटिस जारी की गई थी, जो वापिस आई है। इस लिए आप सभी को और सार्वजनिक जनता को इस प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी की जा रही है।

| ऋणीयों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता नं. | बंधक संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का ब्यौरा | मांग सूचना की तिथि/ NPA की तिथि | मांग सूचना तिथि को बकाया राशि | सूचना चस्पा करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| श्री राजेश राव<br>श्री शांतिलाल राव<br>श्रीमती शांती देवी<br>20007160000016 | सभी चल और अचल संपत्ति, जिसका प्लॉट नंबर 22, पट्टा नंबर एन–14151/5042, आराजी नंबर 42, ओडो का मोहल्ला, भीलवाड़ा, राजस्थान जो आवरित है उत्तर– सड़क, पूर्व – प्लॉट नंबर 358, पश्चिम – प्लॉट नंबर 369, दक्षिण – प्लॉट नंबर 359 | 11.11.2024/ 05.05.2024 | रु.11,68,097.05 (जो दिनांक 07.11.2024) | 14.07.2025 |
| श्री रमेश चन्द्र खटीक<br>श्री भगवती लाल खटीक<br>श्रीमती पार्वती देवी<br>20007160000412 | सभी चल और अचल संपत्ति, जिसका अंतिम प्लॉट नंबर 1411, पट्टा नंबर 1411, मकान नंबर 1411, खटीक मोहल्ला, क्षेत्र मंगरोप भीलवाड़ा, राजस्थान, पिन – 311025 जो आवरित है उत्तर – रावली की संपत्ति, पूर्व – शंकर लाल का घर, पश्चिम – सत्यनारायण का घर, दक्षिण – सड़क | 07.12.2024/ 06.05.2023 | रु.6,01,505.01 (जो दिनांक 01.12.2024) | 14.07.2025 |

आप से इस सूचना के माध्यम से यह मांग की जाती है की इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपके नाम के सामने वर्णित बकाया लोन राशि ब्याज, खर्च, शुल्क सहित का भुगतान कर दें, अन्यथा सरफैसी एक्ट की धारा 13 (4) के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षित संपत्ति को रीडीम करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

स्थानः भीलवाड़ा
तारीखः 02/08/2025

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

---

## Debts Recovery Tribunal, Jaipur

First floor, Sudhama-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road Jaipur
R.C. No.: 732/2022 Next Date: 05/08/25

**DEMAND NOTICE** Notice under Section 25 to 28 of the recovery of debts & Bank/ Ruptcy Act 1993 and Rule 2 of second Schedule to the Income Tax Act 1961

**State Bank Of India V/S M/S R.R. AGENCIES**

To,(1) M/S R.R. AGENCIES, Through its Proprietor Rohit Gupta S/o Shri Rodhey Shyam Gupta R/o Shop at Near SBI Bank Super Bazar Kanota Jaipur (Raj.) 303012(CD2) Rohit Gupta S/o Shri Rodhey Shyam Gupta, R/o 82, Murlidhar mandir ke pass Banon ka Mohalla Sadar Bazar Kanota Jaipur Raj. 303012. This is to notify that as per Recovery certificate issued in pursuance of orders passed by the presiding Officer Debts Recovery Tribunal Jaipur O.A. 854/2018 an amount of **Rs. 10,50,486/- (Rupees Ten Lakh Fifty Thousand Four Hundred Eighty six only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you. 1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of Receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 as per rules there under. 2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. 3. You are, hereby ordered to appear before undersigned on **05/08/2025** at **10:30 A.M**.for further proceedings 4. In additions to the sum afore said you will be liable to pay" (a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that may be taken for recovering the amount due. Details of Amount in the Recovery certificate Due Against you. Given Under my hand and seal of the tribunal on this date 03.05.25

| | |
|---|---|
| 1.Recovery Certificate Amount | : Rs. 10,50,486/- |
| 2. Cost of Suit | : Rs. 14,392/- |
| 3. Interest from 06.11.2018 to 27.09.2023 @ 10% p.a. | : Rs. 3,82,204.22/- |
| 4. Less Amount recovererd after RC Issued | : Rs. Nil |
| 5. Total Dues | : Rs. 14,47,082.22/- |

Seal

Recovery Officer II
Debts Recovery Tribunal Jaipur